रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जून 30—जुलाई 6, 2019, शनिवार/आषाढ़ 9— आषाढ़ 15, 1941

No. 27] NEW DELHI, JUNE 30—JULY 6, 2019, SATURDAY/ASADHA 9— ASADHA 15, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 2019

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.-** उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे

Recognized Research or Educational Institution. Desirable: (i) One year experience of computerizing Library activities in a Library under the Central or State Government or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertaking or University or Recognized Research or Educational Institution; (ii) One year Professional experience in digitization of library records. (iii) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute. Note: 1. The departmental Assistant Library and Information officer in Level-7 of the Pay Matrix with seven years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for deputations shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. 2. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.12011/3/2018-Admn.IA]

SANJEEV GUPTA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 जून, 2019

सा.का.नि. 193.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यक्ष्मा रोधी टीका प्रयोगशाला गिंडी (पशु परिचारक) भर्ती नियम, 1977 और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास समूह 'घ' (प्रयोगशाला परिचर और प्रयोगशाला चपरासी) भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक उनका संबंध पशु परिचारक, प्रयोगशाला चपरासी और प्रयोगशाला परिचर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यक्ष्मा रोधी टीका प्रयोगशाला,गिंडी, चैन्नई में प्रयोगशाला परिचर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी,चैन्नई, प्रयोगशाला परिचर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या बिवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला परिचर	16* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000 -56,900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक	**अनिवार्य :-** (i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिक पास; और (ii)सरकारी संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला तकनीक और पशुओं की देखरेख में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। **वॉछनीय :-** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा

					की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखं,अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी- (क) जो मूल कॉडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई – अध्यक्ष (ii) पशु चिकित्सक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चैन्नई – सदस्य (iv) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कोई राजपत्रित अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा.सं.ए-12018/07/2018–ईपीआई]

जी.के. पिल्लई, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 26th June, 2019

G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, (Animal Attendant) Recruitment Rules, 1977 and BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, Group 'D',(Laboratory Attendant and laboratory Peon) Recruitment rules, 1987 in so far as they relate to the post of Animal Attendant, Laboratory Peon and Laboratory Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant, Group 'C' Post in BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai in the Ministry of Health and Family Welfare namely:-

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai Laboratory Attendant Group 'C' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix**.- The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Laboratory Attendant	16* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)

Whether selection post or non - selection	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not Applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto five years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	**Essential:** i) Matriculation pass from a recognised Board or equivalent; and ii) One year Training Certificate in laboratory techniques and animal care from Government Institute or recognized Institute. **Desirable:-** Diploma in Medical Laboratory Technology from recognised Institute. **Note 1:** The qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates with the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	2 years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under

		other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers under the central Government,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) Possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group-C Departmental Promotion Committee(for considering confirmation) consisting of.- (i) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai, Chairman (ii) Veterinarian, BCG Vaccine Laboratory, Chennai, Member (iii) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai,Member (iv) Gazetted Officer from Central Government or State Government ,Member.	Not Applicable

[F.No. A-12018/07/2018-EPI]
G.K. PILLAI, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 2019

सा.का.नि. 194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण कनिष्ठ सचिवालय सहायक (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1962, जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (I) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।

   (II) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।